न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर ए एस

अपील संख्या 138/2015

1. श्रीराम पुत्र ठाकरराम
2. इन्द्राज पुत्र ठाकरराम
3. प्रकाश देवी पत्नी रामचन्द
4. बनवारीलाल
5. महेन्द्रसिंह
6. रामकुमार — पिसरान रामचन्द
7. साधुराम
8. राजेन्द्रसिंह

अकवाम जाट निवासीगण ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

——अपीलार्थी

बनाम

1. पृथ्वी
2. रामानन्द

पिसरान बूटीराम पुत्र भैरूराम जाट निवासी भट्टू खुर्द तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)

3. पवनकुमार पुत्र बूटीराम पुत्र भैरूराम जाट निवासी भट्टू खुर्द तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)—मृतक

3/1 विमला पत्नी पवनकुमार
3/2 अल्का पुत्री पवनकुमार
3/3 किस्ता पुत्र पवनकुमार
3/4 काजू पुत्री पवनकुमार
3/5 सुनीता पुत्री पवनकुमार

पि. बूटीराम पुत्र भैरूराम जाट निवासी भट्टू खुर्द तहसील व जिला फतेहाबाद(हरियाणा)

4. बंशीलाल पुत्र मेघाराम

पुत्र भैरूराम जाति जाट निवासी भट्टू खुर्द तहसील व जिला फतेहाबाद(हरियाणा)

13/7/11
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

5. महेन्द्रकुमार पुत्र मेघाराम पुत्र भैरूराम जाति जाट निवासी भट्टू खुर्द तहसील व जिला फतेहाबाद(हरियाणा)

6. सोहन
7. शंकर
8. रामेश्वर
9. राममूर्ति

पिसरान अमरसिंह जाति जाट निवासी भट्टू खुर्द तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)

10. रामसिंह पुत्र रामचन्द जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगड

11. मैनादवी
12. नरमादेवी

पुत्रिया रामचन्द जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

13. सुनीतादेवी पुत्री रामचन्द जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ–मृतक

13/1 साहिल
13/2 सुप्रिया
13/3 नीरज
13/4 रविन्द्र

पुत्र/पुत्रिया सुनीता नाबालिग कुदरती वली पिता शंकर जाति जाट निवासी बचेर तहसील राणिया जिला सिरसा (हरियाणा)

14. विनोद
15. पवन
16. मालसिंह

पिसरान फकीरचन्द पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

17. राजकुमार पुत्र मेघाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी भट्टू खुर्द तहसील व जिला फतेहाबाद (फतेहाबाद)

----रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, नोहर
दिनांक 12.05.2014

13/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थिति

श्री प्रदीप सिहाग, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री काशीराम रणवां, अभिभाषक रेस्पों.

श्री मोहन लाल पूनियां, अभिभाषक रेस्पां. सं. 10

श्री इकबाल सिंह सिद्धू, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः– 13.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पों. सं. 1 ता 9 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर के समक्ष रा. का. अ. की धारा 88, 188 का बस्तीराम के परिवार की वंशवली दर्शाते हुए पेश किया कि बस्ती पुत्र खेता की रोही मोजा भूट्टी खुर्द हरियाणा में 20.13 बीघा व रोही मोजा भुकरका तह. नोहर की 142.11 बीघा स्वयं की अर्जित भूमि है जिसमें अपने जीवनकाल में काश्त करते रहे थे । बस्ती का देहान्त दिनांक 13.09.1943 हो गया । उक्त भूमि उनकी मृत्यु के बाद वादी के प्रतिवादीगण के कब्जाकाश्त में रही । जिसके वे खातेदार है। उक्त भूमि बस्ती द्वारा भुकरका के जागीरदार से रकबा के बदले में अर्जित की थी। बस्ती के चार पुत्र थे । जिन चारों की मृत्यु हो चुकी है । भैरू राम के दो सन्तानें थी जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है । बूटी राम के तीन पुत्र वादी सं. 1 व 3 हुए व मेघा राम के तीन पुत्र वादी सं. 4 व 5 व प्रतिवादी सं. 7 हुए, ठाकर राम के तीन संतान प्रतिवादी सं. 1 ता 3 हुए, मंगलु राम का एक पुत्र फकीरचंद हुआ जिसकी मृत्यु हो चुकी है । फकीरचंद के तीन पुत्र प्रतिवादी सं. 4 व 6 अमर सिंह के वादीगण 4 ता 9 हुए । उक्त समस्त बस्ती के उत्तराधिकारी हैं तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 8 के अनुसार वादीगण प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं एवं बस्ती के चारों लड़कों का ब.ह.ब. हक व अधिकार है । बस्ती की मृत्यु के बाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण भूमि के खातेदार हुए । सम्वत् 2001 की पैमाइश में खसरा नं. 99 व 171 रोही मोजा भूकरका में उपरोक्त भूमि सम्वत् 2029 की पैमाइश में भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा जो क्रमशः खसरा नं. 48 की 96.12 बीघ में परिवर्तित व पैमूद हुई । नये खसरा नं. 53 की 65 बीघा में परिवर्तित हुए। बस्ती के चार लड़कों में से

13/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

भैरूराम व अमरसिंह तो भट्टू खुर्द तहसील व जिला फतेहाबाद में निवास करने लगे। मंगला राम भट्टू खुर्द छोड़कर ढाणी लालखां में सम्वत् 2001 में निवास करने लगे। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता ठाकर राम भी फतेहाबाद छोड़कर ढाणी लालखां में निवास करने लगे और यहीं आबाद हो गये तथा भट्टू खुर्द की भूमि सारसंभाल वादीगण के पिता भैराराम व अमर सिंह ने की व मोजा भूकरका की भूमि की सारसंभाल प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के दादा ने की तथा फसल कटाई के बाद भट्टू खुर्द व भूकरका की पैदावार को आपस में बांट लिया करते थे । ठाकर राम चालाक था उसने अपने भाइयों के सीधे–साधे होने का फायदा उठाते हुए रोही मोजा भूकरका की खसरा नं. 99 व 117 से परिवर्तित खसरा नं. 48 की 96.12 बीघा भूमि अवैध तरीके से भू. प्रबन्ध विभाग से मिलीभगत करके अपने नाम से दर्ज करवा ली। उसकी मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने अपने नाम दर्ज करवा ली। जबकि वादी सं. 1 ता 5, प्रतिवादी सं. 6 ता 9, प्रतिवादी सं. 1 ता 3, प्रतिवादी सं. 4 ता 6 उक्त भूमि के खातेदार हैं एवं बस्ती के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। रोही मोजा भट्टू खुर्द में स्थित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 में अपना समस्त हिस्सा दिनांक 25.05.78 को बेचान कर दिया। वादीगण ने रोही मोजा भूकरका में स्थित अपनी फसल बंटाई का हिस्सा मांगा। दिनांक 10.03.2008 को एलानियां उपरोक्त भूमि अपने नाम दर्ज होनी बताई तथा हिस्सा देने से इनकार कर दिया तथा विवादित भूमि अकेले अपने नाम होने से आगे मुंतकिल करने की धमकी दी तथा वादीगण को विवादित भूमि में काश्त करने से रोका । रोही भूकरका की भूमि अकेले प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम है जिसका वे नाजायज लाभ उठाकर उक्त भूमि को रहन कर दिया। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को कई बार अपना नाम क्लमजन करवाकर खाता दुरूस्त करवाने को कहा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया । यही वाद कारण है । अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए वाद पत्र के अनुतोष की मद सं. क से घ अनुसार वाद डिक्री किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने जवाबदावा पेश कर कथन किया कि मोजा भूकरका की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 4 ता 7 का कोई हक व हिस्सा नहीं है । अर्जी दावा में

13/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

परिवार की वंशावली अधुरी । वादीगण ने जो वाद में तथ्य दर्ज किए हैं वे सही नहीं है । वादीगण का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है । अतः वाद वादी खारिज किया जावे ।

दावा एवं जवाबदावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अनुतोष सहित 11 तनकियात कायम की गई । सुनवाई करने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी नोहर ने दिनांक 12.05.2014 को वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया। जिसके विरूद्ध यह अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत हुई । राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर मुंतकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.11.2015 से यह पत्रावली इस न्यायालय को मुंतकिल कर दी।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा एवं जवाबदावा के आधार पर 11 वाद बिन्दु कायम किये गये। तनकी नं0 1 को साबित करने का भार वादी पर था तथा तनकी सं. 7 यह थी कि विवादित भूमि सम्वत् 2001 से सम्वत् 2028 तक ठाकर हयात में उसके कब्जा काश्त में है तथा मृत्यु के पश्चात् सन् 1972 में उसके लड़कों प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के कब्जा काश्त में चली आ रही है और वे उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं जिसे साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 1 ता 3 पर था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 1 का निर्णय वादीगण के पक्ष एवं तनकी सं. 7 का निर्णय अपीलांट प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के विरूद्ध करने में कानूनी भूल की है । दोनों ही वाद बिन्दु का निर्णय करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का विवेचन किया गया । जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य पर कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं दिया कि मृतक बस्तीराम जिसकी मृत्यु 1998 में हो गई थी, का सम्वत् 2000 से कोई सम्बंध नहीं रह गया था तथा विवादित भूमि 4 साला आरजी काश्त भूमि थी । उसके मृत्यु के बाद उसका कोई हक व हिस्सा था तो वह समाप्त हो गया था । सम्वत् 2000 में भूकरका से साबिका खसरा नं. 48 की 106.12

13/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बीघा भूमि जो रोही भूकरका वास्ते काश्त करने के बदले में सदा के लिए ठाकर पुत्र बस्ती ने प्राप्त की थी तथा ठिकाना भूकरका की जागीर सम्वत् 2010 में समाप्त हो जाने के बाद मोजा भूकरका की भूमि आराजीराज हो गई एवं रकम जमा होने लग गई तथा ठाकर राम की रकम तहसील नोहर में बतौर खातेदार अदा कर काश्त करता रहा । रा. का. अ. 1955 दिनांक 15.10.1955 लागू होने के वक्त काश्तकार था । ठाकर राम की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान के कब्जा काश्त में रही । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का स्त्रोत बस्ती से होना मानते हुए उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान के नाम दर्ज होने सम्बंधी अवधारणा पारित करते हुए तनकी सं. 1 का निर्णय वादी के पक्ष में करने में कानूनी भूल की है एवं इसी आधार पर तनकी सं. 7 का निर्णय भी गलत किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 2 का निर्णय वादीगण के पक्ष में करने में भूल की है । विवादित भूमि का बस्ती खातेदार काश्तकार नहीं था बल्कि बस्ती पुत्र खेताराम निवासी भट्टू तह. व जिला फतेहाबाद का एक लड़का ठाकर राम सम्वत् 2000 में वहां की सकूनततर्क कर मोजा ढाणी लालखां में अपने ननिहाल में मय परिवार आकर आबाद हो गया तथा उसने यहां आकर सम्वत् 2001 में ठिकाना भूकरका में उसके जागीरदार से साबिका खसरा नं. 48 की 106.12 भूमि रकम के बदले सदा के लिए वास्ते काश्त प्राप्त कर काश्त करने लगा तथा ठिकाना भूकरका की जागीर सम्वत् 2010 में समाप्त हो गई और उक्त भूमि आराजी हो गई । रा. का. अ. लागू होने पर ठाकर राम बतौर खातेदार हो चुका था जो पत्रावली की साक्ष्य पर उपलब्ध है । इस प्रकार तनकी सं. 2 का निर्णय विधि विरूद्ध किया है । तनकी सं. 5 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। तनकी सं. 6 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था जो प्रतिवादीगण ने साक्ष्य से साबित किया था । ऐसी स्थिति में तनकी सं. 6 का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में होना चाहिए था । तनकी सं. 8 को साबित करने का भार अपीलांट/प्रतिवादी सं. 1 ता 3 पर था । प्रस्तुत रिकॉर्ड से विवादित भूमि ठाकर राम की सिद्ध होने से अपीलांट बतौर वारिस खातेदार काश्तकार है । इसलिए वादीगण का वाद पोषणीय नहीं था ।

13/7/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

तनकी सं. 9 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं. 1 ता 3 पर था जिसे सिद्ध किया था । जिससे स्पष्ट है कि वादीगण क्लीन हैण्ड से नहीं आए। इसलिए दावा खारिज हो गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किए बिना ही वादी का वाद स्वीकार किया है । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रिकॉर्ड से यह साबित है कि विवादित भूमि बस्ती राम की थी । सन् 2001 में भू. प्रबन्ध के दौरान उक्त भूमि खसरा नं. 48 में 96.12 बीघा भूमि पैमूद हुई । जिसके सम्बंध में वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने साक्ष्य के समर्थ में रिकॉर्ड पेश किया था । जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण रूप से अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा दावा पेश करने पर प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश किया । दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई । दोनों पक्षों के साक्ष्य के पश्चात् ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा स्वीकार कर डिक्री किया गया । जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे । अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पों. ने आर.आर.डी. 1980 पेज 48, आर.आर.डी 1973 पेज 31, आर.आर.डी. 1969 पेज 231 की नजीरें पेश की ।

रेस्पों. की बहस का जवाब देते हुए वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेज पेश हुए हैं उनमें से जो प्रदर्शित नहीं हुए हैं । उन्हें साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता । सिर्फ फोटो प्रति है ।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया।

प्रथम तो वादी का वाद जिस रूप में स्वीकार हुआ है। उसमें वाद पत्र का चरण संख्या 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें विवादित आराजी का स्त्रोत बस्तती राम व उसके वारिसान का जो कुर्सीनामा (वारिसनामा सजरा) दर्शाया है उसकी कोई तनकी नहीं बनी जो बनाये बगेर दावे का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बस्तीराम के वारिसान की वंश वंशावली तथा उसे प्रमाणित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित सजरा साक्ष्य के रूप में परीक्षित होना अपरिहार्य था जो नहीं होने से दावे का निर्णय दोषपूर्ण है।

वाद पत्र में विवादित भूमि बस्तीराम की स्वअर्जित भूमि बाबत भी कोई तनकी नहीं बनी जो बननी अपेक्षित थी नहीं बनने से निर्णय दोषपूर्ण है।

वाद पत्र के चरण संख्या 9 में जो दिनांक 10.03.2008 को "Cause of action" की तिथि बताई है, उसकी तनकी भी बनना जरूरी थी, जैसा कि वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अन्य धाराओं के साथ–साथ धारा 188 का अनुतोष भी चाहा है, जिसे निर्णित करने के लिए Cause of action की तिथि बनना भी जरूरी है।

जवाब दावे की चरण संख्या 5 आधारित तनकी बननी अपेक्षित थी कि प्रतिवादी यह सिद्ध करे कि तत्कालीन बीकानेर राजस्व कानून में भूमि 4साला आराजी काश्त के प्रावधान थे जो मृत्यु उपरान्त बस्तीराम के सभी हक हकुक खत्म हो गये प्रतिवादीगण को अपना पक्ष पेश करने, साबित करने की तनकी न बनना भी दोषपूर्ण निर्णय की तारीफ में आता है।

ज़वाब दावा भी चरण संख्या 20 दावे की आत्मा है जिसमें जागीरें खत्म होने पर जागीरदारों की जागीरों की भूमि के लिए पूरा कानून बना है वे भूमियां कैसे devolve होगी के प्रावधान है परन्तु जवाब दावा आने के बाद भी उस पर तनकी नहीं बनना आजादी के बाद राजस्थान के राजस्व कानूनों की अनदेखी वह ठीक नहीं है । जैसाकि जवाब दावे में काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने की बात कही है उनका प्रभाव पूर्व जागीरदारी की भूमियों के विवेचन में कमी रही है।

जवाब दावे की चरण संख्या 26 के सन्दर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धाराओं के साथ मियाद अधिनियम की धारा 25 अनुसार

13/3/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कानूनी तनकी बननी चाहिए थी कि 65 वर्ष के कब्जे बाबत राजस्व कानून की व्याख्या किये बिना निर्णय पारित करना दोषपूर्ण निर्णय है।

उपरोक्त Observation के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो भी तनकीयात बनी उनका विनिश्चय भी त्रुटिपूर्ण किया था । प्रत्येक तनकी को साबित करने के लिए जो भी मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य परीक्षित होते हैं। उनका प्रदर्श लगकर तनकी को साबित किया जाना अपेक्षित है, कौनसा दस्तावेज या गवाह विवाद के विषय को किस रूप में स्पष्ट करता है निर्णय में नहीं दर्शाया है।

अपीलांट अभिभाषक द्वारा दौराने बहस यह जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 के विवेचन में प्रतिवादीगण के गवाह मामराज ने भी जिरह में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि को बस्ती का खेड़ा कहा जाता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में परीक्षित गवाह मामराज की जिरह की प्रथम पंक्ति में लिखा है "यह कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि को खेत पड़ोसी व गांव के लोग बस्ती वाला खेत बोलते हैं" अतः तनकियात का विवेचन भी संग्रहित साक्ष्यों के विपरीत किया है जो विधि विपरीत है तथा अन्य तनकियात का विवेचन का आधार भी तनकी संख्या 1 का विवेचन दर्शाया है जो मूल ही गलत होने से अन्यों का विवेचन भी गलत है।

Respodent अभिभाषक की बहस का केन्द्र बिन्दू बस्तीराम की आराजी विरासत अनुसार Devolve योग्य होकर भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा सिर्फ इन्द्रजात को Carry forward करने चाहिए जो नहीं किए। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नियमानुकुल है तथा प्रस्तुत न्यायसिद्धान्त आर.आर.डी 1980 पेज 48, रिविजन संख्या 21 गंगानगर का 75 निर्णय दिनांक 02.07.1979 के पैरा संख्या 3 का अवलोकन किया जिसमें held किया " Officers of Settlement department have no authority by change any enty in previous settlement record " प्रस्तुत अन्य न्याय सिद्धान्त आर.आर.डी 1973 पेज 31, द्वितीय अपील सं. 29/जयपुर

13/7/11

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक 07.08.1972 में held हुआ है कि "Entry from one settlement to another continuous unless a change occures as a result of an order of competent authority" अन्य न्याय सिद्धान्त आर.आर.डी 1969 पेज 231 Revision no. 1 Tonk of 1967 निर्णय दिनांक 18.03.1967 " Entry in previous settlement to be repeated unless change occured as a result of competant authority or Succession or Transfer certifed by mutation order."

पत्रावली के अध्ययन रिकॉर्ड के अवलोकन प्रस्तुत न्याय सिद्धान्तों को पढ़ने उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने के पश्चात् अपीलीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की प्रक्रियाओं न्याय के विश्लेषण, में त्रुटि की है। अतः इस न्यायालय द्वारा उपर किये Observation अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज कर ,इस निर्देश के साथ पत्रावली रिमाण्ड की जाती है कि

दावे व जवाब दावा के आधार पर वस्तुपरक व कानूनी तनकियात बनवायें।

1- प्रत्येक तनकी पर साक्ष्य संग्रहित कर तथा उन्हें पढ़ने हेतु प्रदर्श लगवाये।

2- प्रत्येक तनकी का विनिश्चय व विनिश्चयक का आधार दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य का विवेचन करे।

3- Observation जिन नियमों, कानूनों को संदर्भित किया है उन्हें पढे तथा जहां आवश्यक हो In corporate करें।

तथा गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.08.2017 को उपस्थित रहे ।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/7/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर